कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

मेवात क्षेत्र में ओएलएक्स के जरिये ठगी व लूटपाट की घटनाओं पर भरतपुर पुलिस ने कसा शिकंजा

अब तक 19 टटलूबाजों को भेजा सलाखों के पीछे

जयपुर 6 सितम्बर। पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिलकुमार टांक ने बताया कि भरतपुर के मेवात क्षेत्र में आये दिन टटलूबाजों द्वारा लोगों को मोबाईल फोन पर लुभावने, मैसेज व ओ0एल0एक्स0 के माध्यम से मंहगी कारें, मंहगे मोबाईल, शादी डेकोरेशन, सीसीटीवी कैमरे का काम करने का बहाना बनाकर दूर–दराज के ग्राहकों को मेवात क्षेत्र में बुलाकर उनके साथ लूटपाट, ठगी व मारपीट की घटनाये आये दिन करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीग श्री सुरेन्द्रसिह कविया के नेतृत्व में वृत डीग/कामां के थानों में पुलिस टीमों का गठन कर सादा वस्त्र/वर्दी में मय हथियारों के गुप्त कार्ययोजना बनाकर पुलिस द्वारा स्वयं ही टटलूबाजों को अपने चंगुल में लेकर थानों पर मुकदमें दर्ज कर काफी बदमाशों को मेवात क्षेत्र गिरफतार कर उनके द्वारा लूटे गये माल व घटना में प्रयुक्त किये गये वाहन तथा अवैध हथियार/कारतूस बरामद कर टटलूबाजों को जेल की हवा खिलाई गई है।

श्री टांक ने बताया कि अब तक कुल 18 आपराधिक प्रकरण दर्ज कर 19 कुख्यात टटलूबाजों मौसीन पुत्र कासम, बनैसिह पुत्र सूरजमल जाति मेव निवासी विडगवां थाना नगर, राहिल उर्फ अमित पुत्र जुम्मा जाति मेव निवासी बनैनी धौकला थाना सीकरी, जाबिद उर्फ जुब्बी उर्फ जावेद पुत्र हाकम जाति मेव निवासी भीलमका थाना डीग, सलीम उर्फ गुठ्ठल पुत्र ईशा, राहुल पुत्र स्वरूपा जाति मेव निवासी नन्देरा थाना कामां, साबिर उर्फ बहरा पुत्र जगली जाति मेव निवासी मडोरा थाना कामां, मुफीद उर्फ भिन्डी पुत्र उमर जाति मेव निवासी नन्देरा थाना कामा, शाकिर पुत्र सहाबुद्दीन, फैशन पुत्र ईस्माईलखां जाति मेव निवासी नौगांवा थाना जुरहरा, जरनैल पुत्र मुदीना जाति मेव, महेन्द्र पुत्र परमलाल जाति जोगी निवासी बिलंग थाना कामा, लक्ष्मन उर्फ प्रवीणकुमार पुत्र ठाकुरियासिंह जाति जाट निवासी अऊगेट कस्वा डीग, जगमोहन पुत्र मंगल जाति गुर्जर निवासी मुडसेरस थाना गोवर्धन जिला मथुरा, जाहुल पुत्र सुभानखां जाति मेव, सुमेरखां पुत्र मंगलखां जाति मुसलमान निवासी लहचोरा थाना गोवर्धन जिला मथुरा, रसीद पुत्र इब्राहिम, ताहिर उर्फ तस्लीम पुत्र रहीम व 19. ईशाद उर्फ जाहिर पुत्र इलियास उर्फ सुब्बा जाति मेव निवासी हाथिया थाना बरसाना जिला मथुरा को गिरफतार कर उन पर कानूनी शिकंजा कसा गया है। जो वर्तमान में जेल में बन्द हैं।

उन्होंने बताया कि इन बदमाशों के कब्जे से लगभग 3,64,000 रुपये नगद, 3 मोटरसाईकिलें, 2 मोबाईल फोन, 4 अवैध कट्टा 315 बोर, 5 जिन्दा कारतूस बरामद किये गये हैं। मेवात क्षेत्र के सभी थाना ईलाका में सादा वस्त्रों में टटलूबाजों पर विशेष निगरानी रखी जाकर धरपकड अभियान जारी है। उक्त टटलूबाजी की घटनाओं में भरतपुर जिले के बदमाशों के अलावा सीमावर्ती राज्य हरियाणा व उत्तरप्रदेश के बदमाश भी सक्रिय है। इस सम्बन्ध में जल्द ही हरियाणा व उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ एक संयुक्त मीटिंग की जाकर तीनों राज्यों की पुलिस द्वारा टटलूबाजों के खिलाफ संयुक्त कार्यवाही की जावेगी।

इसके साथ ही श्री टांक ने जनता से अपील की है कि ओएलएक्स पर सस्ते दामों के लुभावने विज्ञापनों के झांसे में नही आये।

राही/सन्तरा/643/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

3 टटलूबाजों को गिरफ्तार कर 2 बालअपचारियों को किया निरूद्व
1 नकली सोने की ईंट, 2 मोटरसाईकिल, 4 मोबाईल व जेवरात बरामद

जयपुर 6 सितम्बर। भरतपुर के थाना कैथवाडा क्षेत्र से कैथवाडा पुलिस ने आज बुधवार को 3 टटलूबाजों को गिरफ्तार कर 2 बालअपचारियों को निरूद्व कर 1 नकली सोने की ईंट, 2 मोटरसाईकिल, 4 मोबाईल व जेवरात बरामद किये गये है।

पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री अनिलकुमार टांक ने बताया कि आज 6 सितम्बर,17 को थाना पहाडी के कानि0 श्री बबलूराम के मोबाईल फोन पर एक मोबाईल फोन से कॉल आया जो अपने आप को राजू नामक व्यक्ति बता रहा था तथा कह रहा था कि मुझे मेरे मकान की खुदाई में सोने की ईटें मिली हैं। जिनको में आधी कीमत में बेचना चाहता हूं। कानि0 बबलूराम ने उक्त सूचना से थानाधिकारी को अवगत कराया। जिस पर थानाधिकारी द्वारा कानि0 बबलूराम को बोगस ग्राहक बनाकर व श्री सुमेरसिंह स0उ0नि0 को मय जाप्ता के सादा वस्त्रों में प्राईवेट वाहन से रवाना किया गया। कानि0 बबलूराम ने उक्त राजू नाम के व्यक्ति से बात की और पुछा कि किस स्थान पर मिलना है। जिस पर राजू नाम के व्यक्ति ने डीग रोड मदरसा कैथवाडा से आगे खेडा/खदाने पर पीपल के पेड के नीचे आने को कहा। जिस पर कानि0 बबलूराम को एक प्राईवेट टैम्पों में बैठाकर रवाना किया गया। कुछ देर बाद दो मोटरसाईकिलों पर 5 व्यक्ति सवार होकर कैथवाडा की तरफ से आये और अपनी मोटरसाईकिलों को कानि0 बबलूराम के पास रोक दिया तथा एक सोने जैसी दिखने वाली पीतल की ईंट निकालकर बताई कि यह ईंट सोने की है जो हमें मकान की नीवं खोदते समय मिली थी। जिसे हम 1 लाख रूपये में दे देगें। जिस पर कानि0 बबलूराम द्वारा गुप्त संकेत मिलते ही स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा उक्त लोगों को घेरा देकर दबोच लिया।

श्री अनिलकुमार टांक ने बताया कि उक्त लोगों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम सैकुल पुत्र यासिन, अजरूद्दीन पुत्र अकबरखांन जाति मेव निवासी नगला डूंगर थाना खैरथल जिला अलवर व साबिर पुत्र लीला जाति मेव निवासी धर्मशाला थाना कैथवाडा का होना बताया।

उन्होंने बताया कि इनके अलावा गांव धर्मशाला थाना कैथवाडा निवासी दो बालअपचारियों को निरूद्व किया गया है। जिनके कब्जे से दो मोटरसाईकिल, 1 नकली सोने

की ईंट, लोहे की छैनी, 4 मोबाइल फोन तथा करीब 500 ग्राम चांदी जैसे दिखाई देने वाले जेबरात बरामद किये गये है। इस सम्बन्ध में थाना पर मु0न0 125/17 धारा 420, 120 बी आईपीसी में दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ जारी है।

राही/सन्तरा/644/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

ईनामी अभियुक्त लालसिह व दो अन्य अभियुक्त गिरफ्तार
14 क्विंटल 66 किलोग्राम अवैध डोडा चुरा बरामद

जयपुर 6 सितम्बर। प्रतापगढ के थाना अरनोद में दर्ज प्रकरण में वांछित ईनामी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम थाना अरनोद द्वारा ग्राम रिछा में दबिश दी। दबिश के दौरान रिछा ग्राम के सीमा पर बने कच्चे मकान पर ईनामी अपराधी लालसिह पिता रूपसिह राजपुत निवासी रिछा को गिरफ्तार किया। वहां पर दो अन्य व्यक्ति मोहनसिह पिता कालुसिह राजपुत निवासी रिछा, दिलीप पिता जगदीश नाई निवासी पडुनी भी थे उक्त दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। उसी मकान तलाशी लेने पर मकान के अन्दर अवैध डोडा चुरा प्लास्टिक के कुल 64 कटटे जिनमे अवैध अफिम डोडा चुरा कूल 14 क्विटल 66 किलोग्राम बरामद किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ ने आज जानकारी देते हुए बताया कि तीनों अभियुक्त लालसिह, दिलीप सेन, मोहनसिह को नियमानुसार गिरफतार कर थाना अरनोद पर लाया गया तथा थाने पर एनडीपीएस एक्ट मे प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान अधिकारी श्री मांगीलाल विश्नोई पु.नि. थानाधिकारी प्रतापगढ द्वारा उक्त मुल्जिमों से अवैध डोडा चुरा के बारे मे गहनता से पूछताछ की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभियुक्त लालसिंह के विरूद्ध जिला प्रतापगढ़ के थाना अरनोद में मादक पदार्थ की तस्करी, मारपीट, हत्या के प्रयास, सरकारी कर्मचारीयो के राजकार्य मे बाधा से सम्बन्धित जिला चुरू के थाना छापर में मादक पदार्थो की तस्करी व जिला बीकानेर के जयनारायण व्यास थाने में मादक पदार्थो की तस्करी आदि के प्रकरणों मे वांछित है।

अभियुक्त दिलीप विरूद्ध जिला प्रतापगढ़ के थाना अरनोद में मादक पदार्थ की तस्करी व हत्या के प्रयास के सम्बन्ध में व जिला चितोड़गढ़ के थाना चन्देरिया में मादक पदार्थ की तस्करी के प्रकरण में वांछित है।

राही/सन्तरा/645/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोटwww.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।